न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3943/2006/सवाई माधोपुर

भोरया पुत्र श्री मिसरया जाति चमार निवासी ग्राम मीना कोलेता तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सोमोत्या
2– परसादी
पुत्रान हाबूडिया जाति चमार निवासी ग्राम मीना कोलेता तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।
3– विशन्या पुत्र मांग्या जाति चमार निवासी ग्राम मीना कोलेता तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री डॉ0आर.वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी बामनवास के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 86/2 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मीना कोलेता वादी के बाबा की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि रही है। दौराने भू प्रबंध वादी

को खसरा नंबर 162, 163, 164 भूमि दी गई है और वादी इस पर काबिजकाश्त है। वादी के खाते में 159/12एयर, 160/13एअर अंकित कर दिये है। खसरा नंबर 163 व 164 को प्रतिवादी रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम लगा दिया है। अतः दावा डिक्री कर आराजी खसरा नंबर 162, 163, 164 पर वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वाद पत्र को परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31–3–03 से डिक्री कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–06 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये उपखंड अधिकारी बामनवास का निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17–4–06 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादी के पूर्वजों को खसरा नंबर 86/2 में 2 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जिसका पर्चा लगान सेटलमेंट वालो द्वारा खसरा नंबर 162, 163, 164 जारी किया गया। सेटलमेंट खतौनी बनाते समय सहवन से खसरा नंबर 162, 163, 164 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के नाम लगा दिया और वादी के नाम खसरा नंबर 159 व 160 लगा दिया गया। जबकि वादी खसरा नंबर 162, 163, व 164 पर काबिज है। परीक्षण न्यायालय ने उनके समक्ष उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वादी अपीलार्थी का वाद डिक्री किया है। जिसकी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी। जबकि प्रतिवादी को परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। प्रतिवादीगण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होते रहे किंतु बहस वाले दिन अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें जानकारी नहीं होने का लाभ नहीं दिया जा सकता था तथा अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। उनका यह भी तर्क है कि दौराने अपील रेस्पोडेंट ने आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया था तथा उसमें वर्णित दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में रिकोर्ड पर नहीं लिये जा सकते थे और न ही अपीलांट वादी को रिबटल का मौका दिया गया। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये बिना किसी प्रकार का विवेचन एवं विश्लेषण किये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी की अपील मनमाने तौर पर डिक्री की गई है। साबिक खसरा नंबर 86 बडा रकबा रहा है और वादी के साथ हमे भी खसरा नंबर 86 में से 2 बीघा रकबा आवंटित किया गया था और इसका मिन नंबर 86/4 डाल कर हमारे नाम दर्ज किया गया था जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी संवत् 2029—32 से हो रही है। साबिक नक्शा ट्रैस, हाल नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक नंबर 86 से हाल नंबरान 156 लगायत 169, 150, 151 व 183/1339 बनाये गये है। वादी/अपीलार्थी द्वारा वादपत्र के जरिये हमारी खातेदारी के हाल नंबरान 163, 164, 162 को चाहा गया है जबकि नक्शें किसी प्रकार की तरमीम नहीं है कि उन्हें खसरा नंबर 86 में तरमीम कर 86/2 दिया गया हो तथा चाहे गये नबंरान खसरा नंबर 162, 163, 164 उन्हें आवंटित किये गये खसरा नंबर 86 के भाग रहे हो। हाल खसरा नंबर 162, 163, 164 प्रतिवादी को आवंटित किये गये खसरा नंबर 86 के भाग है न कि वादी अपीलांट को आवंटित रकबे के भाग है। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद डिक्री किया है। ग्रामवासी एवं वादी के पिता द्वारा पूर्व में आराजी पर हमारे कब्जे होने की पुष्टि की गई थी और वादी अपने पिता के कथन से ''एस्टोप्ड'' है और वह दावा लाने का अधिकारी नहीं था। वादी अपीलांट द्वारा 1983 के अंकनों को 1993 में 10 साल बाद चुनौती दी गई है जबकि उक्त अंकन का उन्हें प्रारम्भ से ही ज्ञान था। जिससे सिद्ध होता है कि वादी ने वाद गलत आधारों पर प्रस्तुत किया एवं परीक्षण न्यायालय ने भी बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये एवं बिना राजस्व रिकोर्ड को देखे गलत तथ्यों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर रेस्पोडेंट अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी वादी द्वारा वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि सेटलमेंट खतौनी बनाते समय खसरा नंबर 159 एवं 160 जो कि उसकी खातेदारी का नहीं था खातेदारी में अंकित कर दिया गया

एवं उसकी खातेदारी के खसरा नंबर 162, 163, 164 की भूमि रेस्पोडेंट प्रतिवादी के नाम अंकित कर दी गई। उपखंड अधिकारी ने वादी का वाद एकतरफा डिक्री किया। वर्तमान रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से यह तथ्य स्थापित हुआ है कि वर्तमान पक्षकारों के बीच एएसओ बामनवास के यहां जो कार्यवाहीं चली थी उसमें यह निर्णित किया गया था कि आराजी खसरा नंबर 163 व 164 प्रसादी, सोमोत्या पिता हाबूडिया चमार के कब्जे में है तथा आरजी खसरा नंबर 161 व 162 विश्नया पुत्र भांग्या चमार के कब्जे में है तथा खसरा नंबर 159 व 160 पांच्या पुत्र मांग्ला चमार के कब्जे में है। इस रिपोर्ट पर वादी अपीलार्थी के भी हस्ताक्षर थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर मिसल नंबर 999/83 में एएसओ के आदेश दिनांक 24–10–83 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के नाम भूमियों का अंकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 163 व 164 वर्ष 1983 से पूर्व ही वर्तमान रेस्पोडेंट प्रतिवादी के नाम अंकित रही है तथा 159, 160 वादी अपीलार्थी के नाम अंकित रही है। भू प्रबंध विभाग के उक्त आदेशों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाहीं सक्षम न्यायालय के समक्ष की गई हो एंसा उपलब्ध रिकोर्ड से जाहिर नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रविष्टियों को परिवर्तित किये जाने का कोई दस्तावेजी आधार अपीलार्थी वादी प्रस्तुत करने में असफल रहे है। हमारी सुविचारित राय में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से राजस्व अपील प्राधिकारी के निष्कर्षो की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् अपील को स्वीकार किये जाने का कोई आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप हम इस द्वितीय अपील में हम कोई सार नहीं पाते है। परिणामतः हस्तगत् द्वितीय अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरडा)
सदस्य

(डॉ0 आर.वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष